**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2398**

**13 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**तमिलनाडु को पीएमएवाई-यू के लिए वित्तीय सहायता**

**2398. श्री डी. एम. कथीर आनंदः**

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत प्रति इकाई वित्तीय सहायता में केन्द्रीय हिस्सा बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार का क्या पक्ष है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विगत छह वर्षों के दौरान तमिलनाडु में पीएमएवाई-यू और किसी अन्य किफायती आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षबार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु के लिए आवास और शहरी मामलों से संबंधित किसी अन्य शहरी विकास योजना के अंतर्गत निधि आवंटित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, 'सभी के लिए आवास' के विजन के तहत, देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता करता है।

भारत सरकार पीएमएवाई-यू "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) के अंतर्गत 1.0 लाख रुपये, साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत निर्माण या संवर्धन (बीएलसी) घटक के लिए 1.5 लाख रुपये केंद्रीय सहायता के रूप में अपना निश्चित हिस्सा प्रदान करती है। डीपीआर के अनुसार आवास की शेष लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/लाभार्थियों द्वारा साझा की जाती है। पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक के तहत, ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रति आवास 2.67 लाख रुपये तक की अग्रिम सब्सिडी प्रदान की गई थी। इस योजना को, सीएलएसएस घटक को छोड़कर, वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 03.03.2025 तक 11,185.30 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता के साथ 6.80 लाख से अधिक आवासों को स्वीकृति दे दी गई है। स्वीकृत आवासों में से, 6.61 लाख आवासों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है; जिनमें से 5.98 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं, और शेष निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। पिछले छह वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के 9 वर्षों से प्राप्त अनुभव और सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है, ताकि चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों की सहायता की जा सके। बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटकों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है, और आईएसएस घटक को आवास वित्त कंपनियों और प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हडको) जैसी चिह्नित केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत आवासों की खरीद/निर्माण के लिए आवश्यक निधि केंद्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/यूएलबी/कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों के बीच साझा की

जाती है। आज तक, तमिलनाडु सहित 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत तमिलनाडु राज्य के लिए 65,000 सहित 6.75 लाख से अधिक आवासों के आवंटन के लिए 'सैद्धांतिक' रूप से अनुमोदित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न घटकों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है तथा योजना के अंतर्गत अनिवार्य राज्य के हिस्से का प्रावधान किया गया है, तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवासों की वहनीयता बढ़ाने के लिए राज्य के हिस्से बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। निश्चित हिस्सा का विवरण इस प्रकार है:

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | पीएमएवाई-यू 2.0 घटक | | |
|---|---|---|---|---|
| | | बीएलसी और एएचपी | एआरएच | आईएसएस |
| 1. | उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र) | केंद्र सरकार. - 2.25 लाख रुपए प्रति यूनिट<br>राज्य सरकार - न्यूनतम 0.25 लाख रुपए प्रति यूनिट | प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान<br>भारत सरकार : 3,000/ रुपए वर्गमीटर प्रति इकाई<br>राज्य का हिस्सा: 2,000/ रुपए वर्गमीटर प्रति इकाई | गृह ऋण सब्सिडी – केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रति यूनिट 1.80 लाख रुपए (वास्तविक रिलीज) तक |
| 2. | विधानमंडल रहित सभी संघ राज्य क्षेत्र | केंद्र सरकार. - 2.50 लाख रुपए प्रति यूनिट | | |
| 3. | अन्य सभी राज्य | केंद्र सरकार. - 1.50 लाख रुपए प्रति यूनिट<br>राज्य सरकार - न्यूनतम 1.00 लाख रुपए प्रति यूनिट | | |

(घ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू) के तहत, तमिलनाडु राज्य को कुल 1,144.68 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के तहत, तमिलनाडु राज्य सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 35,990 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 77,640 करोड़ रुपए की राज्य वार्षिक कार्य योजनाएँ (एसएएपी) स्वीकृत की गई हैं। अब तक, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क एवं गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन की अमृत परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु राज्य को 4,626.24 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

इसके अलावा, मिशन अवधि के दौरान शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के लिए अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की गई है। अमृत 2.0 के तहत, अब तक तमिलनाडु राज्य के लिए 14,687.83 करोड़ रुपए (ओएंडएम सहित) की लागत वाली 1,270 परियोजनाओं के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य जल कार्य योजना (एसडब्ल्यूएपी) को अनुमोदित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत, तमिलनाडु राज्य को मिशन आवंटन 3,296.70 करोड़ रुपए है, जिसमें से 829.65 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

*****

**दिनांक 13-03-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2398 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

तमिलनाडु राज्य में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत पिछले छह वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता सहित 2017-18 और चालू वर्ष तक का विवरण

| वित्तीय वर्ष | स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में) | जारी की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में) * |
|---|---|---|
| 2017-18 तक | 3,694.92 | 1,961.11 |
| 2018-19 | 2,079.11 | 1,408.78 |
| 2019-20 | 1,799.96 | 1,992.30 |
| 2020-21 | 1,470.50 | 1,575.24 |
| 2021-22 | 1,324.93 | 1,578.91 |
| 2022-23 | 636.91 | 722.15 |
| 2023-24 | 178.97 | 877.57 |
| चालू वर्ष | शून्य | 222.05 |
| **कुल** | **11,185.30** | **10,338.11** |

* इसमें पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित स्वीकृतियों से वर्ष में जारी की गई केन्द्रीय सहायता शामिल है।